संख्याः 143 / XVII(2) / 2(म0क0) / 2021

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 17 जून, 2021

विषयः– 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–136/XVII–(2)/2–(म0क0)/2021 दिनांक 11.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना संचालित की गयी है। उक्त योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1.परिस्थितियाः–

(i)–01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से जैविक/दत्तक ग्राही माता–पिता (दोनों) की मृत्यु हो जाना।

(ii)–01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाना तथा दूसरे का पूर्व में देहान्त हो जाना।

(iii)– 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से परिवार के कमाऊ सदस्य (माता अथवा पिता) में से किसी एक की मृत्यु हो जाना।

(iv)– बच्चे के माता–पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है व उसके संरक्षक की 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से मृत्यु हो जाना।

बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, और उत्तराधिकारों/विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण), अधिनियम

क्रमशः.......2

Scanned with CamScanner

2015, गार्जियन एण्ड वार्डस् एक्ट, 1890, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम, 1956, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं एच.आई.वी. एडस की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2017 में आवश्यक प्राविधान किये गये है।

01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण काफी संख्या में बच्चों की देखभाल, पुर्नवास एवं उनकी सम्पत्ति, उत्तराधिकारों/विधिक अधिकारों के संरक्षण के संकट हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2–प्रभावित बच्चों का चिन्हीकरण–

प्रदेश की समस्त तहसीलों के उपजिलाधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे, जो अपने अधीन कार्यरत नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में पंचायतीराज संस्थाओं, पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, ऑगनबाडी कार्यकत्री, शिक्षकगण, ए.एन.एम./आशा कार्यकत्री, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थांए, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों आदि के सहयोग से 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण प्रस्तर सं0–1 की परिस्थितियों के तहत सुनिश्चित किया जायेगा।

नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करने के उपरान्त उन्हें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सहायताओं हेतु आवेदन एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेजों को तैयार कराना स्वयं सुनिश्चित करेगें। प्रभावित बच्चों के चिन्हीकरण के उपरान्त ऐसे बच्चों की समस्त सूचना तत्काल नोडल अधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit) को उपलब्ध करायी जायेगी व समस्त बच्चों का रिकार्ड तहसील स्तर पर अद्यतन रखा जायेगा।

3–जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit)–

प्रत्येक जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चों के चिन्हीकरण के उपरान्त समस्त कार्यवाही हेतु नोडल एजेन्सी होगी व उसके अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी नामित अधिकारी होगें। बच्चों के चिन्हीकरण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी (नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार) से प्रभावित बच्चों की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा 24 घण्टें के अन्दर ऐसे बच्चों से वर्चुअल/व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क सुनिश्चित किया जायेगा।

(i)–इकाई द्वारा बच्चों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ऑकलन किया जाएगा।

क्रमशः......3

Scanned with CamScanner

(ii)–इकाई द्वारा किए जाने वाले प्रारम्भिक ऑकलन में निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया जाएगा –

(ii)(a)–माता/पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु का कारण।

(ii)(b)–परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति।

(ii)(c)–परिवार की आय का स्रोत।

(ii)(d)–प्रभावित बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एवं शिक्षा का स्तर।

(ii)(e)–परिवार की चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाते का विवरण, बीमा एवं अन्य दावे।

(ii)(f)–ऐसे बच्चों अथवा पारिवारिक सदस्यों की कोई विशिष्ट स्थिति यथा दिव्यांगता आदि।

(ii)(g)–प्रभावित बच्चों के तात्कालिक देखभालकर्ता (यदि कोई हो) के सम्बन्ध में विस्तारित परिवार के अन्य सदस्यों के विचार।

(ii)(h)–प्रभावित बच्चों के तात्कालिक देखभालकर्ता का विवरण यथा नाम, आयु, पता, सम्पर्क सूत्र, व्यवसाय एवं प्रभावित बच्चों से सम्बन्ध आदि।

(ii)(i)–प्रभावित बच्चों की देख–रेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में इकाई की टिप्पणी/राय।

(iii)–इकाई द्वारा ऐसे प्रभावित बच्चों की सूचना प्राप्त होने के 48 घण्टें के भीतर बच्चों का विवरण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पोर्टल–बाल स्वराज–पर अपलोड किया जाएगा।

(iv)–इकाई द्वारा ऑकलनोपरान्त जन्म से 18 वर्ष से कम तक के प्रभावित बच्चों के सम्बन्ध में तैयार की गयी प्रारम्भिक ऑकलन रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

(v)– प्रारम्भिक ऑकलन रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराने के पश्चात् यथासम्भव 24 घंटे के अन्दर प्रभावित बच्चे को समिति के समक्ष वर्चुअल/व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi)– बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बच्चों के प्रकरणों में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण), अधिनियम 2015 के अन्तर्गत संज्ञान लेकर नियमानुसार जॉच की जाएगी।

(vii)– बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों की स्थिति एवं मनोदशा को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव बच्चों को उसके परिवार (विस्तारित परिवार सहित) में ही रखे जाने पर विचार किया जाएगा, परन्तु परिवार में बच्चों की देख–रेख के लिए अनुकूल वातावरण न होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

(viii)–बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों की देख–रेख हेतु आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की नियुक्ति की जाएगी तथा बच्चे को Fit Person के संरक्षण में प्रदान किया जायेगा।

क्रमशः.........4

Scanned with CamScanner

(ix)– इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति की जाँचोपरान्त् किए गए आदेशानुसार बच्चों की समुचित देख–रेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

(x)–इकाई द्वारा समिति के आदेशानुसार तात्कालिक देखभाल हेतु बच्चों को राजकीय/पंजीकृत बाल देख–रेख संस्थान में रखा जाएगा।

(xi)–जिन प्रकरणों में बच्चों की देखभाल पारिवारिक स्तर पर हो सकती है, ऐसे प्रकरणों में बच्चों को संस्थागत देखभाल में नहीं दिया जाएगा।

(xii)–इकाई द्वारा पारिवारिक देखभाल से वंचित दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों को निर्धारित समयावधि में ''दत्तक ग्रहण दिए जाने हेतु मुक्त'' घोषित कराया जाएगा तथा समस्त अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(xiii)–इकाई द्वारा 18 वर्ष से अधिक व 21 वर्ष तक की उम्र के प्रभावित बच्चों के सम्बन्ध में तैयार की गई प्रारम्भिक आँकलन रिपोर्ट, जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी व प्रस्तर 6.1.1 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उनकी स्थिति व मनोदशा को दृष्टिगत रखते हुए उनकी देख–रेख आदि के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(xiv)–इकाई द्वारा ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में पाक्षिक समीक्षा करते हुए उनकी कुशलता सुनिश्चित की जायेगी व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई के स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा की जायेगी।

(xv)–प्रभावित बच्चों की निजता व गोपनीयता को सम्बन्धित तहसील व जनपद स्तर पर संरक्षित रखा जायेगा तथा इकाई द्वारा बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में सम्पर्क करने हेतु समस्त आवश्यक दूरभाष नम्बर यथा चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि, उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराये जायेगें।

4– संस्थानिक देखभाल–

ऐसे लाभार्थी जिनकी देखभाल करने हेतु कोई नहीं है अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देख–रेख करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसे लाभार्थी के भरण–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा उसे ''देख–रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद श्रेणी का बच्चा'' घोषित कर प्रदेश में संचालित शासकीय/पंजीकृत बाल देख–रेख संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा। ऐसे लाभार्थी को कोई मासिक आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं होगी, किन्तु वर्णित अन्य समस्त सहायता प्रदान की जाएगी।

5– बच्चों की पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अपेक्षित कार्यवाही–

(i)–इकाई द्वारा बच्चों की पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों को संरक्षित रखनें में अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल होगा।

क्रमशः........5

Scanned with CamScanner

(ii)—इकाई द्वारा बच्चों की परिस्थितियों के अनुरूप किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण), अधिनियम 2015, गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट, 1890, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम, 1956 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संरक्षक नियुक्त करने की कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी। इस प्रयोजन हेतु इकाई द्वारा देखभालकर्ता की ओर से सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष 15 दिन के भीतर आवेदन कराया जायेगा।

(iii)—नोडल अधिकारी (नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार) द्वारा बच्चों की सम्पत्ति, उत्तराधिकार एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा माता/पिता/संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी, बच्चों का व्यक्तिगत पहचान सम्बन्धी प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि तैयार कराना एवं सहायता हेतु आवेदन कराना स्वयं सुनिश्चित किया जाएगा। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इसके अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(iv)—इकाई द्वारा बच्चों का उत्तराधिकार संरक्षित करने के लिए सक्षम न्यायालय के माध्यम से उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र जारी कराने की कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी।

(v)—बच्चों की पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होगें जो लाभार्थी की समस्त पैतृक (चल एवं अचल) सम्पत्ति का विवरण संरक्षित रखेगें व मासिक एवं वार्षिक समीक्षा करते हुए सम्पत्ति की सुरक्षा (विक्रय/बन्धक/अतिक्रमण से बचाव) का सतत अनुश्रवण करेगें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई के प्रथम पक्ष में लाभार्थी की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित तहसील से कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

6— प्रस्तर—1 में वर्णित परिस्थितियों से प्रभावित बच्चों को उनके उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने पर निम्नांकित सहायता प्रदान की जाएगी—

(i)— आर्थिक सहायता—

(i)(a)—आर्थिक सहायता हेतु चयनित लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रूपये 3,000/— (रूपये तीन हजार मात्र) सहायता राशि/भरण—पोषण भत्ता दी जाएगी। यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person)/संरक्षक व बच्चे के संयुक्त खाते में D.B.T के माध्यम से जमा की जाएगी तथा इस बैंक खाते में अन्य किसी प्रकार का लेन—देन नहीं किया जाएगा व इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी के भरण—पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त् लाभार्थी के व्यक्तिगत खाते में D.B.T के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाएगी। इस हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी,

क्रमशः........6

Scanned with CamScanner

जिला पूर्ति अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति द्वारा लाभार्थी के चयन एवं प्रदत्त धनराशि के निर्दिष्ट उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।

(i)(b)–ऐसे बच्चे जिनका एक ही अभिभावक (माता/पिता) जीवित हो तथा वह सरकारी सेवा में हो अथवा पुरानी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहा हो अथवा आयकर सीमा में हो, तो वह आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होगें।

7– उक्त योजना से आच्छादित बच्चों को प्रस्तर–6 में वर्णित समस्त लाभ दिनांक 01 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य होगा।

8– आवेदन प्रक्रिया–

आर्थिक सहायता हेतु समस्त आवेदन संलग्न प्रारूप **(परिशिष्ट–क)** पर आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन दोनो प्रकार से प्राप्त किये किए जायेगें व आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन करवाने का दायित्व सम्बन्धित तहसील के नोडल अधिकारी (नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार) का होगा।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

पृ0संख्याः 143 /XVII(2)/2(म0क0)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का तत्काल अनुपालन किया जाए तथा योजना का मासिक अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।
4. मण्डलॉयुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ।
5. निजी सचिव, सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्डफाईल।

आज्ञा से

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

Scanned with CamScanner

कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

(शासनादेश संख्याः–136/XVII(2)/02(म0क0)/2021 दिनांक 11 जून, 2021 के अन्तर्गत)

1. बच्चे का नाम...
2. जन्मतिथि एवं आयु (जन्म प्रमाण पत्र अथवा आयु सम्बन्धी अन्य दस्तावेज की छायाप्रति)...
3. धर्म...
4. जाति..
5. आधार कार्ड न0 (यदि हो तो)...............................
6. स्थायी पता(स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)...
7. वर्तमान पता...
8. शैक्षिक योग्यता...................................कक्षा...................
9. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम..
10. बच्चा स्वस्थ्य है अथवा दिव्यांग...
11. पिता का नाम..
    A) जन्मतिथि/आयु...
    B) जीवित/मृतक.......................................
    C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक.....................
    D) मृत्यु का कारण...
    E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें...............................
12. पिता का व्यवसाय...
13. पिता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतो से)..........................
14. पिता का आधार कार्ड न0...
15. माता का नाम...
    A) जन्मतिथि/आयु...
    B) जीवित/मृतक..
    C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक.....................
    D) मृत्यु का कारण.................................
    E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें................................
16. माता का व्यवसाय..
17. माता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतो से)..........................
18. माता का आधार कार्ड न0...
19. वर्तमान में बच्चा किसके साथ रह रहा है..................................
20. बच्चे से उसका सम्बन्ध व पूर्ण पता मोबाइल न0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)...

Scanned with CamScanner

संरक्षक का विवरण

21. यदि बच्चे के माता–पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो संरक्षक का नाम................
....
22. बच्चे से सम्बन्ध ....
23. आयु...
24. लिंग..
25. संरक्षक का आधार कार्ड न0............................
26. संरक्षक का व्यवसाय.................................
27. संरक्षक का पता मोबाइल न0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)..........
....

बैंक विवरण

28. बच्चे के माता/पिता/संरक्षक के साथ राष्ट्रीकृत बैंक खाता सं0...............................
29. बैंक का नाम...................................... IFSC कोड...............................
30. बैंक का पता (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)........................

सम्पत्ति का विवरण

31. बच्चे के माता/पिता के नाम अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (कृषि, आवासीय, व्यवसायिक)	क्षेत्रफल	सम्पत्ति जहां स्थित है उसका पूर्ण पता	सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

32. चल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (वाहन, बैंक खाता आदि)	सम्पत्ति का विवरण (यथा बैंक खाते का विवरण, वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि	चल सम्पत्ति का मूल्य	चल सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

दिनांक.................................

आवेदक का नाम........................

पता...

मो0न0...

Scanned with CamScanner